# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1694/2015.................................. जिला ............जयपुर...............................................

उनवान : मैसर्स आनन्दा सेल्स, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणि. कर, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–एफ, जयपुर.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **खण्डपीठ**<br>**श्री मदन लाल, सदस्य**<br>**श्री मनोहर पुरी, सदस्य** | |
| 10/11/2015 | अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 127/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.10.2015 के विरूद्व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। | |
| | प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.08.2013 को पारित किया जाकर, अपीलार्थी द्वारा क्लेम किया गया आई.टी.सी. स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जयपुर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर कि अपीलार्थी के विक्रेता व्यवहारी मैसर्स रिषभ कम्प्यूटोनिक्स, जयपुर द्वारा आलौच्य अवधि का कर राजकोष में जमा नहीं कराया है। अतः वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–एफ, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33, 26 व 18 के तहत संशोधित आदेश दिनांक 30.06.2015 पारित करते हुए मैसर्स रिषभ कम्प्यूटोनिक्स से की गई खरीद पर चुकाये गये वैट के पेटे क्लेम किया गया आई.टी.सी. रूपये 10,41,444/– रिवर्स किया गया एवं तदनुसार ब्याज रूपये 4,64,150/– आरोपित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त मांग की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4), अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2015 से अस्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 14,44,022/– की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है। | |
| | अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **41 टैक्स अपडेट 269 मैसर्स पूजा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य;** माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **(2013) 60 वी.एस.टी. 283. श्री विनायगा** | |

लगातार..........2

10 / 11 / 2015

एज़ेन्सीज बनाम सहायक आयुक्त (सी.टी.); 41 टैक्स अपडेट 287 इन्फिनिटी होलसेल लिमिटेड बनाम सहायक अयुक्त (सी.टी.) एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2015) 23 वैट रिपोर्टर 17 आशा ऑयल ट्रेडर्स जयपुर बनाम सहायक आयुक्त उद्धरित करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार वैट अदा किया जाकर माल क्रय किया गया है। यदि विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है तो इसमें अपीलार्थी व्यवहारी का कोई दोष नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है। कर निर्धारण अधिकारी विक्रेता व्यवहारी की गलती के लिये अपीलार्थी को दण्डित नहीं कर सकते। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत आई.टी.सी. का क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर राजकोष में जमा करवा दिया गया हो। धारा 18 को उद्धरित किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

**18. Input Tax Credit. –**

(1) ..........

(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases –

लगातार..........3

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1694 / 2015.................................... जिला .............जयपुर.........................................................

उनवान : मैसर्स आनन्दा सेल्स, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणि. कर, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–एफ, जयपुर.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>–: 3 :– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10 / 11 / 2015 | (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub–section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or<br>(ii) of goods made in the course of import from outside the State; or<br>(iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or<br>(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or<br>(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction , on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.<br><br>कथन किया कि उक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी को आई.टी.सी. क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो। प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि व्यवहारी द्वारा जिस विक्रेता व्यवहारी से माल क्रय किया जाना दर्शाया गया है, उसके द्वारा कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में देय कर राजकोष में जमा होना प्रमाणित नहीं होता है। जो राशि (कर) राज्य सरकार को प्राप्त ही नहीं हुई है, उस राशि का समायोजन किसी विधिक प्रावधान के तहत स्वीकार्य नहीं है। अतः व्यवहारी धारा 18(2) व (3) के तहत आई.टी.सी. क्लेम का अधिकारी नहीं रहता है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया :–<br><br>(1) **65 वी.एस.टी.सी. 260 (मद्रास) जायम एण्ड कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त (सी.टी.)**<br>(2) **(2006) 148 एस.टी.सी. 356 (इलाहाबाद) भदौरिया ग्राम सेवा संस्थान बनाम सहायक आयुक्त, सेल्स टैक्स, इलाहाबाद व अन्य**<br>(3) **(2013) 66 वी.एस.टी. 75 (मद्रास) यू.एस.ए. एजेंसीज व अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी अत्तुर (ग्रामीण)**<br><br>लगातार..........4 | |

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1694 / 2015..................................... जिला ............जयपुर...............................................................

उनवान : मैसर्स आनन्दा सेल्स, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणि. कर, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–एफ, जयपुर.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>–: 4 :– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10 / 11 / 2015 | उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णयों तथा विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन करने तथा उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।<br>उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।<br>निर्णय सुनाया गया।<br>10.11.2015<br>सदस्य<br>राजस्थान कर बोर्ड<br>अजमेर<br>10.11.2015<br>सदस्य<br>राजस्थान कर बोर्ड<br>अजमेर | |